



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



या. मुख्यमंत्री जी

संख्या-133/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07 टी सी 111

प्रेषक,
अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

रामाज कल्याण अनुभाग-3 तखनऊ दिनांक 4 जून 2019
विषय वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-400/स०प्र०/शिक्षा-अ/०३/२०१९-२०, दिनांक-०९.०५.२०१९ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-२०१९-२० में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कक्षा ११-१२ एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन करने, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण के लिये प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।


२- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अद्यतन कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र २०१९-२० में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा ११-१२ एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण सारथियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष २०१९-२० में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

३- उल्लेखनीय है कि मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में मा० प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष ०२ अक्टूबर व २६ जनवरी को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हुये आयोजित किया जाना है। तत्क्रम में वर्ष २०१९-२० के लिये निम्नालिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी का प्रस्ताव है :-

| क्र० सं० | प्रक्रियात्मक कार्यवाही | प्रस्तावित समयवधि कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019-20) | कक्षा समस्त हेतु |
|----------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | प्रदेश में स्थित गण्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/ | 01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक | |

ENGLISH TRANSLATION

SUBJECT- Regarding preparation of master database of courses related to post-matric scholarship and fee reimbursement for class 11-12 and other post-matric classes in the financial year/academic session-2020-21, locking verification and issuing proposed timetable for distribution of scholarship/fee reimbursement application to the students.


प्रचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालौज, गोरखपुर




छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



| S. No. | procedural proceedings | Proposed time period for classes 11-12 and all other post X (2019-20) |
|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | The process of applying for inclusion in the master data base by recognized educational institutions located in the state should be done through the Education Department. Obtaining the password from the District Social Welfare Officer (new institutions) and filling complete information in the master data. | From 01 June 2019 to 20 JULY 2019 |





प्रिचाराय
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर



| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त सरथाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंक) को मिलाते हुये, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अपलोड करना। | |
| 1ए | प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त सरथायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निर्देशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राय नरायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट-राज्य से बाहर की नवीन सरथायें पासवर्ड के लिये 20 जुलाई 2019 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।) | 01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक |
| 1बी | योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन सरथायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त सरथाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी सरथाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंक) को मिलाते हुये, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। | 01 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक |
| 2 | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना। | 21 जुलाई 2019 से 23 अगस्त 2019 तक |
| 2ए | योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त सरथानों हेतु) द्वारा सभी सरथानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना। | 01 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 तक |
| 3 | जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला विद्युता वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी सरथानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना। | 24 अगस्त 2019 से 16 सितम्बर 2019 तक |
| दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति -समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु | | |
| 4 | छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। | 01 जुलाई से 20 अगस्त |




 प्राचार्या
 चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
 पी० जी० कालीज, गोरखपुर



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|----|---|--|
| 5 | (ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा 01 जुलाई से 30 अक्टूबर 2019 तक अपरमर्त जाई रहेगा। छात्र/छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधारे (हार्डकोर-न इंफॉर्मेटिव) तक नम्बर तक आय अर्थात् प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय गुणवत्ता विभाग को लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सत्यापन प्रदर्शित किया जाएगा। | 2019 तक |
| 6 | ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा मांजित सत्यापन के संबंधित विभाग संख्या में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अंदर सितम्बर 27 अगस्त 2019 तक |
| 7 | छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकोर की एक सत्यापन अनिवार्य तो छात्र/छात्रा के सत्यापन विभाग का सत्यापन संख्या द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापित एवं अप्रसारित करना। | 02 जुलाई से 03 सितम्बर 2019 तक |
| 8 | छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) में करने का कारण सत्यापन द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सत्यापन पत्र सत्यापन अंकित किया जाना एवं विकल्पिकता के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों द्वारा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर सत्यापन एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना। | 04 सितम्बर से 20 नवम्बर 2019 तक |
| 9 | जिला विद्यालय निरीक्षक (जटा 11-12 हनु) एवं सम्बन्धित विद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन की मान्यता, वार्षिक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना। | 13 सितम्बर 2019 तक |
| 10 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा कापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एनओआईसी की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों के लिये) | 03 सितम्बर से 10 सितम्बर 2019 तक |
| 11 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लौक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct) छात्र/छात्राओं के लिये) | 11 सितम्बर 2019 से 22 सितम्बर 2019 तक |
| 12 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लौक डाटा को आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एनओआईसी की राज्य इकाई से सौंम सुनिश्चित करना। | 25 सितम्बर 2019 तक |
| 13 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लौक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र का कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में सीधे धनराशि अन्तर्गत किया जाना। | 01 अक्टूबर 2019 तक |
| 14 | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना | 02 अक्टूबर 2019 को |

3/6

•••

Page 1079

Page 1079

Scanned with OKEN Scanner

Suresh
 प्राचार्या
 चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
 पी० जी० कालीज, गोरखपुर

| | | |
|----|--|---|
| | नोट - (01 जुलाई से 20 अक्टूबर 2019 तक आवेदन करने वाले एवं 02 जुलाई से 03 दिसम्बर 2019 तक संस्था से अधिसूचित एवं सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2019 को भुगतान हेतु डाटा में शामिल किया जायेगा।) | |
| | कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवरोध महीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु | |
| 15 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। | 01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2019 तक |
| 16 | छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियाँ (हार्डस्कूल इण्टरमीडियट ग्रेजुएट नम्बर तथा आय आदि प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। | छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल फिन्स आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में। |
| 17 | ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा याचित सल्लमको सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अक्टूबर 2019 तक |
| 18 | छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं सल्लम अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अधिसूचित करना। | 02 जुलाई से 24 अक्टूबर 2019 तक |
| 19 | जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एजिक्यूटिवि एजन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वार्षिक छात्र संख्या आदि की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना। | 08 नवम्बर 2019 तक |
| 20 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनापरामर्श डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य ड्रवर्क में निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। | 25 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2019 तक |
| 21 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिम्बेचर से शुद्ध डाटा लौक किया जाना। | 21 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2019 तक |
| 22 | सन्दर्भात्मक डाटा को कारणों सहित छात्र संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुन आवेदन ऑनलाइन सबमिट किया जाना। | 20 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक |
| 23 | ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त याचित सल्लमको सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 03 दिसम्बर 2019 तक |
| 24 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं सल्लम अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पुन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अधिसूचित करना। | 21 नवम्बर 2019 से 06 दिसम्बर 2019 तक |

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 25 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। | 06 दिसम्बर 2019 से 16 दिसम्बर 2019 तक |
| 26 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना। | 17 दिसम्बर 2019 से 11 जनवरी 2020 तक |
| 27 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से भौग सुजित कराना। | 16 जनवरी 2020 तक |
| 28 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाता में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। | 25 जनवरी 2020 तक |
| 29 | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना। | 26 जनवरी 2020 को |

नोट:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा रोमेस्टर होने की दशा में दोनों रोमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम प्रत्येक स्थिति में दिनांक 31 अगस्त 2019 तक अपलोड करेंगे। यदि परीक्षा परिणाम इसके उपरान्त घोषित किया जाता है तो नवीनीकरण के ऐसे छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी।
- 3- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिद्वय छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमात्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

प्रचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालसैज, गोरखपुर




पु0सं0-| 39/2019/2124 (1)/26-3-2019 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कौषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- मार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।


प्रचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालैज, गोरखपुर